स्थानीय स्वायत्त शासन

नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका श्रृंखला संख्या - ४

संवैधानिक संवाद केन्द्र
Centre For Constitutional Dialogue

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रथम संस्करण: २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्रमे सर्वाधिकार सुरक्षित अछि । सामग्रीक स्रोतक रुपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रक नामे साभार व्यक्त क' गैरव्यावसायिक प्रयोजनक लेल ई पुस्तकक अंशसभ पुनःप्रकाशन आ/अनुवाद कएल जा सकैत अछि। पुनःप्रकाशन आ/अनुवादक एक प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रकेँ उपलब्ध कराओल जायत ।

साजसज्जा आ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ्ग, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डू ।

विशेष जानकारी अथवा ई पुस्तकक प्राप्तिक लेल निम्नलिखित स्थानपर सम्पर्क राखब :

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तेसर महल, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नया बानेश्वर, काठमाण्डू

टेलिफोन नं.: ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई –मेल: info@ccd.org.np

वेब साइट: www.ccd.org.np

स्थानीय स्वायत्त शासन

पुस्तिका शृंखला ४

स्थानीय स्वायत्त शासन १

परिचय १

स्थानीय स्वायत्त शासनक सिद्धान्तसभ १

वित्तीय स्वायत्तता ३

नेपालमे स्थानीय स्वायत्त सरकार कानुन ४

स्थानीय निकायसभक काज-कर्तव्यसभ ५

स्थानीय प्रशासनिक यथार्थ ६

संविधानसभाक चुनौतिसभ ७

स्थानीय स्वायत्त शासन

परिचय

प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण नीक शासनक एकटा महत्वपूर्ण तत्वे टा नहि भ' लोकतान्त्रिक अभ्यासक अभिव्यक्ति सेहो अछि । ई प्रभावकारी जनप्रशासनक एकटा पूर्व शर्त सेहो अछि । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायसभक संगहि निर्वाचित स्थानीय निकायकेँ सेहो लोकतान्त्रिक शासन आ प्रशासनक प्रमुख कर्ता मानल जाइत अछि । ओसभ राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायसभक सँग सहकार्य करैत अछि । सार्वजनिक कार्यक लेल ओकरासभकेँ अपन स्वायत्त क्षेत्रसभ सेहो होईत छैक । राष्ट्रक स्वरूप संघीय, क्षेत्रीय अथवा एकात्मक जे कोनो होउक लोकतन्त्रक एकटा अत्यावश्यक तत्वक रूपमे स्थानीय लोकतन्त्रकेँ स्वीकार कएल जाइत अछि ।

नागरिकसभक सँग सभसँ बेसी लग रह'बला निर्वाचित निकायसभकेँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह करबाक चाही । सामान्यतः सम्बन्धित अधिकारकेँ स्पष्ट करबाक लेल संविधान तथा कानुनअन्तर्गत राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय उत्तरदायित्वसभकेँ अलगे व्यवस्था करब उचित होइत अछि । संविधानमे विकेन्द्रित संस्थान सभक लेल पृथक कएल गेल कार्यसभक सम्पादनक लेल आवश्यक साधन स्रोतपर ओकरासभक पहुँचक प्रत्याभूति सेहो होबाक चाही ।

नेपालक पछिला इतिहासमे स्थानीय सरकार कमजोर अथवा निस्क्रिय रहल पाओल जाइत अछि । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थासभ ग्रामीण तथा सहरी दुनू क्षेत्रमे विकेन्द्रीकरण तथा विकासक सिद्धान्तपर आधारित स्वायत्त शासन पद्धति लागू हेबाक अपेक्षा केने अछि । नेपालक आवश्यकताक लेल व्यावहारिक तथा उत्तरदायी होबाक संगहि नीक आ प्रजातान्त्रिक शासनक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप रहल स्थानीय सरकार पद्धतिकेँ कार्यान्वयन करबालए उल्लेख्य रूपसँ कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार हेतु वर्तमान स्थिति आह्वान करैत अछि । एहि क्षेत्रमे पुनः दृष्टि देबाक लेल तथा स्थानीय शासनसम्बन्धी बृहत तथा नव अवधारणा तैयार करबा लेल नव संविधानक मसौदा तैयारीक सन्दर्भ एकटा अबसर उपलब्ध करौने अछि ।

स्थानीय स्वायत्त शासनक सिद्धान्तसभ

स्थानीय स्वायत्त शासनक ढाँचासभ, एकर शक्ति संरचना तथा कार्यक्षेत्रक आधारपर सभ राष्ट्रमे एके समान नहि भ' पृथक-पृथक होईत अछि । राष्ट्रअन्तर्गत सेहो स्थानीय सरकार एकाईक

आकार तथा सापेक्षिक प्रशासनिक अधिकार फरक भ' सकैत अछि। उदाहरणक लेल, कतिपय नम्हर सहरी प्रशासनसभक वित्तीय, मानवीय तथा प्रशासनक साधनस्रोतसभ कतिपय राष्ट्रक तुलनामे बेसी होईत अछि।

स्थानीय सरकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नीक अभ्याससभक विकास सापेक्षिक रूपसँ पछिलुका लहरि अछि। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम संचालन परिषद सन् २००७ अप्रिलमे सब स्तरपर सुशासन प्रवर्द्धन करबालेल तथा स्थानीय निकायसभकेँ सशक्त बनेबालेल प्रमुख साधनक रूपमे 'स्थानीय निकायसभक विकेन्द्रीकरण तथा सशक्तीकरण मार्ग निदेशिका" पारित केने छल। उक्त मार्गनिर्देशिकाकेँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा अनुमोदन केने छल।

संयुक्त राष्ट्रसंघ उक्त मार्गनिर्देशिकाअनुसार शासन आ विकासनीतिसभक सन्दर्भमे विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय विकासकेँ केन्द्रमे रखबालेल एवं सब तहक विकेन्द्रीकरण आ शासनक सन्दर्भमे ओकरासभक कानुनी एवं संस्थागत संरचनासभकेँ सशक्त बनेवालेल सरकारसभकेँ आह्वान केने अछि।

मार्गनिर्देशिकामे स्थानीय शासन आ विकेन्द्रीकरणक लोकतान्तिक, संवैधानिक/ कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षसभपर आधारित प्रमुख सिध्दान्तसभ प्रस्तुत कएलगेल अछि। उएह समयमे पृथक राज्यक प्रचलनसहित राज्यक स्वरूप (संघीय, क्षेत्रीय अथवा एकात्मक)क निश्चित अवस्थामे एकरासभकेँ प्रयोग करबाक चाही।

राष्ट्रिय कानुन तथा संविधानमे स्थानीय निकायक कानुनी स्वायत्तताकेँ उप-राष्ट्रिय निकायक रूपमे स्वीकार कएल जेबाक चाही। राष्ट्रिय कानुन तथा संविधानमे स्थानीय निकायक गठनक शैली, ओकरासभक शक्तिक प्रकृति, ओकरासभक अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य आ कार्यक्षेत्रक निर्धारण कएल जेबाक चाही। सरकारक उपरका क्षेत्रक सन्दर्भमे स्थानीय निकायसभक भूमिका तथा उत्तरदायित्वकेँ कानुनी प्रावधानद्धारा स्पष्ट रूपसँ उल्लेख कएल जेबाक चाही। ओकरासभक क्षेत्र अथवा क्षमतासँ बेसी होब'बला भूमिका तथा उत्तरदायित्वसभ मात्र दोसर निकायकेँ देबाक चाही। राष्ट्रिय अथवा क्षेत्रीय निकायसभद्धारा देलगेल अधिकारसहित स्थानीय निकायसभकेँ अपन अधिकार कानुनद्धारा निर्धारित सीमामे रहि स्वतन्तत्रापूर्वक प्रयोग कर' देबाक चाही। ओ अधिकारसभ पूर्ण तथा अविभाजित होबाक चाही आ कानुनद्धारा व्यवस्थाक अतिरिक्त अन्य कोनो निकायद्धारा ओहन अधिकारकेँ कमजोर, सीमित अथवा अवरूद्ध नहि कएल जा सकैत अछि।

स्थानीय निकायसभक सुपरिवेक्षण संविधान अथवा कानुनद्धारा व्यवस्था कएलगेल प्रावधान तथा प्रक्रियाअनुसार मात्र करबाक चाही। उक्त सुपरिवेक्षण कानुनी निकायक ऐनसभक बैधताक

उत्तरकालीन प्रमाणीकरण (a posteriori verification) मे सीमित होबाक चाही आ स्थानीय निकायक स्वायत्तताक लेल एकर सम्मान करबाक चाही । स्थानीय परिषदसभक निलम्बन अथवा बिघटन, अथवा कार्यकारीसभक निलम्बन, अथवा समाप्तिक बाद कानुनक निर्देशनद्धारा यथाशक्य छोट समयावधिमे ओकरसभक कार्यक पुनः आरम्भ निश्चित करबाक चाही । स्थानीय निकायसभक आन्तरिक प्रशासन संरचनाक निर्धारण, उक्त संरचनाकें स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्माण करवाक काज आ प्रभावकारी व्यवस्थापनक सुनिश्चित करबाक काज सम्भव हेबाक हदधरि ओकरेसभकें देबाक चाही ।

स्थानीय सरकारकें साझेदारसभ तथा संघसभ गठन करबाक स्वतन्त्रता रहबाक चाही । स्थानीय सरकारक संघसभकें प्रायः पृथक राजनीतिक अस्तित्व होइ छै आ प्राय : ओसभ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा सहयोगकें खोजी करैत अछि । किछु राष्ट्रमे स्थानीय सरकारसभक संघसभ स्थानीय सरकारसम्वन्धी बातसभमे परामर्शदातृ भूमिका निर्बाह क' सकबाक संवैधानिक प्रत्यभूतिक उपभोग करैत अछि । नागरिक समाजक सम्पूर्णपक्षसभ, विशेष क' गैरसरकारी संस्थासभ तथा समुदायपर आधारित संस्थासभ, निजी क्षेत्र तथा अन्य इच्छुक सरोकारबलाक संगहि साझेदारी स्थापना कर'बला तथा बिकास कर'बला अधिकार स्थानीय निकायकें हेबाक चाही ।

सार्वजनिक क्रियाकलापमे समाजक असमावेशी तथा सीमान्तीकृत समुदाय तथा क्षेत्रसभक सहभागिता बढेबाक लेल सेहो स्थानीय सरकारक विशेष भूमिका होइत छै । निर्णयप्रक्रिया तथा सामुदायिक नेतृत्वसम्वन्धी कार्य सम्पादनमे जनसहभागिता एवं नागरिक स्वतन्त्रताक उपयुक्त स्वरूप निर्धारण करबाक अधिकार स्थानीय निकायकें होबाक चाही । एहन स्वरूपमे समाज, जनजातीय तथा लैंगिक समूहसभ तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्गसभक सामाजिक एवं आर्थिक रूपसँ कमजोर बर्गक प्रतिनिधित्वक लेल विशेष व्यवस्था कएल जा सकैत अछि ।

वित्तीय स्वायत्तता

प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वयत्तताक लेल उपयुक्त वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक होइत छै । केन्द्रीय अथवा क्षेत्रीय शासनद्वारा अधिकार निक्षेप (प्रत्यायोजन) कएल अवस्थामे अधिकारक प्रयोगक लेल स्थानीय निकायसभकें आवश्यक साधन स्रोतक प्रत्याभूति (गैरेण्टी) प्रदान कएल जेबाक चाही । स्थानीय अवस्था तथा प्राथमिकताअनुसारक कार्यसम्पादन शैलीक स्वतन्त्रता सेहो ओकरासभकें हएब आवश्यक अछि । स्थानीय निकायसभकें अपन काज तथा जिम्मेवारी निर्वाहक लेल व्यापक स्तरपर वित्तीय साधनस्रोतपर पहुँच होबाक चाही ।

ओकरासभक अधिकारक संरचनाअन्तर्गत स्वतन्त्रापूर्वक प्रयोग होब’बला पर्याप्त साधनस्रोत अथवा रकमान्तरसभक लेल ओकरासभकेँ स्वयं हकदार होबाक स्वतन्त्रता चाही ।

स्थानीय निकायसभद्वारा उपलब्ध कराओल जाएबला सेवासभक खर्चक लेल आवश्यक वित्तीय स्रोतक महत्पूर्ण अंश स्थानीय कर, शुल्क तथा दस्तुरसभद्धारा संकलन करबाक चाही । स्तम्भीय (राज्य तथा स्थानीय अधिकारीसभक बीच) आ क्षैतिजीय (स्थानीय निकायसभकबीच) ई दुनू प्रकारक वित्तीय समान्यीकरण पद्धतिक माध्यमसँ वित्तीय सबलता सुनिश्चित कएल जा सकैत अछि । विशेष रूपसँ स्थानीय कर संकलनक आधार कमजोर भेलापर अथवा कर आधार नहि भेलाक स्थानपर एहन व्यवस्था हएब आवश्यक अछि ।

नेपालमे स्थानीय स्वायत्त सरकार कानुन

नेपालक संविधान -२०१९ आ एकराद्धारा संस्थागत होब’बाला निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाक बृहत उद्देश्य विकेन्द्रीकरणक अवधारणा कार्यान्वयन करब छल । ओहि समयमे गाम, सहर, जिला तथा अंचल स्तरपर स्थानीय निकायसभक गठन कएलगेल छल । उक्त वातावरणमे प्रभावकारी स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा शक्तिक आ अधिकारक वास्तविक निक्षेपीकरण सम्भव नहि छल । अर्ध-प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भेलाक बादो स्थानीय निकायसभ केन्द्रीकृत राज्यद्धारा स्थापना कएलगेल प्रशासनिक निकायसभक अन्तर्गत एकटा एकाईक रूपमे मात्र सेवारत छल ।

२०४७ सालक संविधानक सभसँ कमजोर पक्षसभमेसँ एकटा, एहिमे “स्थानीय स्वायत्त शासन” क लेल कोनो संवैधानिक प्रत्याभूतिक अभाव छल । ‘राज्यक निर्देशक सिध्दान्तसभ’ अन्तर्गत किछु सम्वन्धित पक्षसभक उल्लेख अवश्य कएलगेल छल । मुदा विकेन्द्रीकरणक माध्यमसँ उक्त प्रक्रियामे जनसहभागिता सुनिश्चित करबालेल न्यूनतम संगठनात्मक आधार तथा सैद्दान्तिक आधारक स्पष्ट परिभााषा करबामे उक्त संविधान असफल रहल । उक्त संविधानमे संवैधानिक कमजोरी भेलाक बादो नवनिर्वाचित बहुदलीय संसदद्धारा तैयार कएलगेल कानुनअन्तर्गत सन् १९९१क बाद नवप्रजातान्त्रिक स्थानीय निकायमसभ गठन कएलगेल ।

सन् १९९९क स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आ एहि ऐनक आधारपर ऐनकेँ कार्यान्वयनक लेल तैयार कएलगेल स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, -सन् १९९१ क गाउँ बिकास समिति ऐन, नगर पालिका ऐन तथा जिला बिकास समिति ऐनक व्यवस्थासभकेँ एकीकृत रूपमे पुनः स्थापित तथा सम्मिलित केलक । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नेपालमे स्थानीय शासनक लेल विद्यमान कानुनी आधार तैयार केने अछि ।

स्थानीय स्वायत्त शासनक लेल पृथक भाग (भाग १७) समावेश कएलगेल नेपालक प्रथम संविधान,२०६३ सालक अन्तरिम संविधान अछि। एकर धारा १३९ मे उल्लेख कएलगेल अछि - 'स्थानीय स्तरसँ जनताक सार्वभौमसत्ताक प्रयोग करवाक अनुकूल बातावारण निर्माण क' देशक शासन व्यवस्थामे जनताक बेसीसँबेसी सहभागिता प्रवर्द्धन करब आ स्थानीय स्तरपर जनताकेँ सेवा उपलब्ध कराएब तथा स्थानीय स्तरसँ लोकतन्त्रकेँ विकास करबाक लेल विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारक निक्षेपणक आधारपर स्थानीय स्वायत्त शासनसम्वन्धी निकायक निर्वाचन कएल जाएत ।' ई एकटा महत्वपूर्ण डेग अछि आ ई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनद्धारा निर्धारित सिद्दान्तसभकेँ ठोस बनौने अछि। स्थानीय सरकारसभकेँ कार्यान्वयनकारी स्वायत्तताक प्रत्याभूति उपलब्ध करेबाक लेल ई एखनो असफल अछि आ ई स्थानीय निकायसभक कार्यसंचालन, साधन स्रोत तथा उत्तरदायित्वक सम्वन्धमे अपर्याप्त स्पष्टता मात्र उपलब्ध करौने अछि। धारा १४० स्थानीय निकायसभकेँ समानुपातिक साधन स्रोत उपलब्ध कराव'बला आवश्यकताकेँ मान्यता प्रदान केने अछि । मुदा 'कानुनमे व्यवस्था भेलअनुसार नेपाल सरकार आ स्थानीय स्वायत्त शासनसम्वन्धी निकायबीच जिम्मेवारी आ राजस्व परिचालन तथा बाँटफाँट हएत' ई बातके उल्लेख क' ई स्वयंकेँ सीमित क' लेने अछि। गाम/सहर तह आ जिला तह संस्थागत क्रियाकलापक प्रमुख क्षेत्रसभ आछि। अन्य तह माध्यमिक भूमिका निर्वाह करैत अछि। प्रत्येक वार्ड तथा प्रत्येक ग्रामीण विकास क्षेत्र अथवा सहरमे निर्वाचित निकायसभ क्रमशः वार्ड समिति, गाम परिषद अथवा नगर परिषद होबाक चाही । गाम (गाउँ) बिकास समिति प्रत्येक गाम विकास क्षेत्रकेँ कार्यकारी समिति अछि आ ओकर अध्यक्षता निर्वाचित गाविस अध्यक्षद्धारा हएत। उएह गाम बिकास परिषदक बैठक सेहो आह्वान करैत अछि। वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्यसभ तथा गाविस अध्यक्षकेँ क्रमशः वार्डसभ अथवा ग्राम बिकास क्षेत्रक आम मतदातासभ निर्वाचित करैत अछि। वार्ड अध्यक्षसभ ग्राम बिकास समितिक सदस्यक रूपमे सेहो रहैत अछि।

स्थानीय निकायसभक काज-कर्तव्यसभ

वार्डसभकेँ गन्दा (फोहोर) संकलन, नहर, ढल तथा बाँधक मरम्मति सम्भार, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय व्यवस्थापनमे सहयोग; तथा परियोजना सुपरिवेक्षणसँ सम्वन्धित विभिन्न काजक जिम्मेबारी देल गेल अछि। गाविसक काजकर्तव्यसभ बहुत व्यापक अछि। कृषि बिकास, बजार, पशुसेवा तथा पशुरोग नियन्त्रणक लेल बन्दोवस्त, पीब'बला जलक व्यवस्था, ग्रामीण सडक तथा पूल निर्माण तथा मरम्मति सम्भार, प्राथमिक विद्यालयक स्थापना, अपन क्षेत्रक विद्यालयसभक सुपरिवेक्षण आ व्यवस्थापन, प्रौढ शिक्षा व्यवस्था, सिंचाई, भू-क्षय तथा नदी नियन्त्रण

योजना, बिजली उत्पादन, सामुदायिक भवन, भू-उपयोग योजना, स्वास्थ्य चौकी संचालन तथा मरम्मति सम्भार, बृक्षारोपण तथा वातावरण संरक्षण, पर्यटकीय क्षेत्र तथा धार्मिक स्थलसभक संरक्षण, जनसंख्या, घर, भूमि तथा पशुधनक अभिलेख संकलन, जन्म आ मृत्यु दर्ता, प्राकृतिक बिपति नियन्त्रणसम्वन्धी काज, अनैतिक कृयाकलापपर नियन्त्रण तथा आयमूलक क्रियाकलापक प्रवर्ध्दनसनक काज गाविससभ करत से अपेक्षा कएलगेल अछि। (स्थानीय स्वायत्त ऐन)।

सामाजिक सुरक्षणक सन्दर्भमे गाविससभ आओर बातक अतिरिक्त असहाय, अनाथ तथा अपांग बालबालिका, गामअन्तर्गतक महिलासभक उत्थान तथा महिला आ बालबालिकाक संरक्षणक लेल जिम्मेबार होइत अछि। गाविस तथा नगरपालिकासभ विकासक गतिविधिक लेल प्राथमिक रूपसँ जिम्मेबार संस्थासभ अछि। ओकरासभकेँ वार्षिक विकास योजना तैयार कर' पडैत छैक। सँगहि वस्तुपरक तथ्यांक संकलन, सम्वन्धित क्षेत्रक स्रोत नक्सांकन, सम्भाव्यताक अध्ययन, परियोजनासभक चुनाव करवाक संगहि ओकरासभक अनुगमन आ मूल्यांकन आ गैससभक समन्वय करबाक काज सेहो एहि निकायक जिम्मेबारीअन्तर्गत पडैत अछि। नगरपालिकासभक कानुनी उत्तरदायित्वसभमे गाविससभक उपर्युक्त उत्तरदायित्वसभक अतिरिक्त सहरी आवश्यकतासभसँ सवन्धित तथा सामान्यतः उच्चस्रोत स्तरक जिम्मेबारीसभ सेहो पड़ैत अछि।

स्थानीय प्रशासनिक यथार्थ

स्थानीय शासनसम्वन्धी वर्तमान नियमन संरचना कठिन अछि आ प्रायः दोसर कानुनसँ प्रतिकूल प्रकारक सेहो अछि। द्वन्द्व आ स्थानीय स्तरपर निर्वाचित प्रतिनिधिसभक अनुपस्थितिक कारण बिगत किछु वर्षमे विकेन्द्रीकरण आ स्वायत्त शासनक क्षेत्रमे उल्लेख्य प्रगति नहि भेल बात सरकार स्वयं सेहो स्वीकार केने अछि। विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण भेलाक बादो स्थानीय निकायकेँ शक्ति आ आधिकारक निक्षेपीकरण हएब बाँकिए अछि। विगतमे अर्थपूर्ण वित्तीय विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयक दिशामे गम्भीर प्रयास नहि भ' सकल। स्थानीय स्तरक कार्यक्रमसभ संयोजन करबाक तथा सुपरिवेक्षण करबाक कानुनी अधिकार स्थानीय सरकारसभक सँग नहि अछि। स्थानीय शासनमे लाभग्राहीसभक पूर्ण सहभागिताक लेल स्पष्ट ढाँचासभ अथवा सामाजिक रूपमे समावेश नहि भेल वर्गक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करबाक लेल संस्थागत प्रावधानसभ उपलब्ध नहि अछि। (नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन-सन् २००४)

सन् १९९८ मे निर्वाचित स्थानीय निकायसभक कार्यविधि सन् २००२ मे समाप्त भेल आ तकराबाद ओहि तहक कोनो निर्वाचन नहि भ' सकल अछि। अन्तरिम अवधिक बाद स्थानीय

निकायसभ निस्क्रिय भ'गेल । सन् २००२क बाद करीव-करीव सातवर्ष स्थानीय तहमे कोनो लोकतान्त्रिक निकाय नहि रहल बात ककरोसँ छपित नहि अछि । २०६० सालमे लगाओलगेल शाही अध्यायदेश नं १८क अधारपर केन्द्रीय सरकार "आवश्यकताअनुसार स्थानीय निकायसभक काज, कर्तव्य तथा अधिकार प्रयोग कर' पाबिरहल अछि । निर्वाचित ग्राम परिषद तथा गाविस अध्यक्ष नहि भेलाक कारण गाविस सचिवसभ कामु गाविस अध्यक्षक रूपमे काज क' रहल अछि । तहिना, नगरपालिकासभमे कार्यकारी अधिकृतसभ आ जिला स्तरमे स्थानीय बिकास अधिकृतसभ क्रमश: नगरप्रमुख आ जिला बिकास समितिक अध्यक्षक रूपमे कार्यभार सम्हारिरहल अछि । ई तात्कालिक समाधान स्थानीय तथा जिलास्तरीय शासनकेँ पूर्णरूपसँ अबरोध होबासँ रक्षा त' केने अछि, मुदा, एहिसँ स्थानीय स्तरक सेवाक गुणात्मकता तथा उपलब्धताक संगहि सरकारी संस्थासभक जबाबदेहीता आ उत्तरदायित्वकेँ उल्लेख्य रूपसँ प्रभावित केने अछि ।

एकर अतिरिक्त कतिपय गाविस सचिवसभ नाम मात्रक साधनस्रोत आ पुहँचसम्वन्धी समस्यासँ पीडित अछि । द्वन्द्वक कारण बहुत राश सरकारी अधिकारीसभ बिस्थापित होबाक संगहि स्थानीय निकायक पूर्वाधारसभ सेहो ध्वस्त भेलाक कारण स्थानीय सरकारक उपस्थिति तथा काज सम्पादनमे उल्लेख्य रूपसँ प्रभाव पड़ल देखल जाईत अछि ।

राजनितिक दलसभ सन् २००६क सेप्टेम्बरमे सम्वन्धित नियमसभक अनुरूप विकास बजेटक लेल स्थानीय निर्वाचित निकायसभक विकल्पक रूपमे जिला, नगरपालिका तथा ग्रामीण स्तरपर अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन करबाक निर्णय केलक । उक्त व्यवस्था सन् २००७क अन्तरिम संविधानमे सेहो समावेश कएलगेल छल । सर्वसम्मतिक अभावक कारणसँ ओ निकायसभक गठन नहि भ' सकल आ सात दलीय सूत्रक अनुसरण क' तैयार कएल गेल स्थानीय तदर्थ व्यवस्था अभ्यासमे आएल । वर्तमान संयुक्त सरकार थप स्थाई समाधानक घोषणा त' केने आछि मुदा, उक्त व्यवस्थाक कार्यान्वयन बाँकिए अछि । (सन् २००९क जनवरी धरिक स्थिति अनुसार) ।

संविधानसभाक चुनौतिसभ

नव संविधानसमक्ष स्थानीय स्वायत्त शासन एकटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्जना क' देने अछि । विशेष क' राज्य पुन:संरचनाक सम्वन्धमे भ' रहल बहसक सन्दर्भमे सशक्त आ स्वायत्त स्थानीय निकायक संवैधानिक प्रत्याभूतिसम्वन्धी विचारविमर्श आवश्यक अछि । दू तहक संघीय पद्दति स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा स्थानीय सरकारक आवधारणाकेँ पुन: स्थापित नहि क' सकैत अछि । संघीय राज्य संरचनाक तेसर तहक रूपमे स्थानीय स्वायत्त शासनक अपन पृथक

स्थान अछि। प्रभावकारी स्वायत्त शासनयुक्त पद्धति संघीय पद्धतिक उद्देश्य हासिल करबाक दिशामे मद्दति क' सकैत अछि। ताहिलेल स्थानीय स्वायत्त शासनक सन्दर्भमे संविधानसभाद्धारा सम्वोधन हएब आवश्यक रहल किछु बात निम्नानुसार अछि :

» प्रभावकारी स्थानीय स्वायत्त शासनक प्रत्याभूति करबालेल स्थानीय निकायसभकेँ कोन-कोन शक्ति अथवा अधिकारसभ बिकेन्द्रीत अथवा निक्षेपित कएल जा सकैत अछि ?

» संविधानमे समावेश होब'बला स्वायत्त शासनक आधारभूत तत्व कोन-कोन अछि आ कानुनद्धारा निर्धारण कएलजाएबला आओर तत्वसभ कोन-कोन अछि (राष्ट्रिय स्तरपर तथा उप-राष्ट्रिय स्तरपर) ?

» स्थानीय निकायसभकेँ अधिकतम लोकतान्त्रिक तथा समावेशी चरित्रक बनेबाक लेल ओसभ केहन निर्वाचन प्रणाली अपनाओत ?

» स्थानीय निकायसभक संरचनाक तह तथा प्रकार केहन हएत ? विद्यमान स्थानीय निकायसभक सन्दर्भमे केहन-केहन व्यवस्था कर' पडत आ ओकरासभक बीच केहन अन्तरसम्वन्ध हएत ?

» वित्तीय स्वायत्तता प्रत्याभूतिक सन्दर्भमे स्थानीय निकायसभक लेल आर्थिक स्रोत (कर, शुल्क, रकमान्तर) सम्वन्धी बातसभ।

» संविधानअन्तर्गत स्थानीय निकायसभकेँ कोन-कोन प्रकारक विधायिकी तथा न्यायिक अधिकारसभ देब' पडत ?

» स्थानीय निकायसभक लेल कर्मचारी नियुक्ति करबालेल प्रशासनिक स्वायत्तता अथवा राज्यद्धारा निजामती (सरकारी) कर्मचारीसभकेँ काज लगेबाक व्यवहारिकतासम्वन्धी बातसभ।

» बिकासप्रक्रियामे पछुआएल महिला तथा सीमान्तीकृत क्षेत्रसभक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वक लेल कोन-कोन तरहक विशेष पहल तथा संयन्त्रसभ तैयार कर' पडत ?

» स्थानीय निकायसभक विद्यमान सीमा, बनाबट तथा संगठनात्मक स्वरूपमे परिवर्तनक लेल ढाँचा निर्धारण।

» संघीय पद्धतिमे स्थानीय तथा उप-राष्ट्रिय सरकार आ स्थानीय आ केन्द्रीय सरकारबीचक अन्तरसम्वन्धसम्वन्धी बातसभ।

पुस्तिका श्रृंखला सम्बन्धमे

संविधानसभाक सदस्यसभकेँ आ इच्छुक सर्वसाधारणकेँ संविधान निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमे आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराएब एहि पुस्तिका शृंखलाक उद्देश्य अछि । ई प्रकाशनसभ संवैधानिक परिणाम सम्बन्धमे कोनो तरहक पूर्वानुमान करएबला अवधारणापत्र अथवा प्रस्ताव अथवा मनसाय नहि अछि । ई शृंखला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमक (यूएनडीपी) “नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माणक लेल सहयोग” (एसपीसीबीएन) परियोजनाक समन्वयमे नेपाली आ अन्तर्राष्ट्रिय संविधानविद्‌सभक सामूहिक प्रयासक प्रतिफल अछि ।

ई पुस्तिकासभकेँ आओर परिस्कृत बनेबाक कारणेँ प्रतिक्रिया आ टिप्पणीक लेल विशेष अनुरोध अछि । बेसीसँबेसी सुसूचित, प्रतिबद्ध आ रचनात्मक विचारविमर्शकेँ प्रोत्साहित करएमे ई प्रकाशनसभ सफल भेलेपर अपेक्षित उद्देश्यक प्राप्ति होएत । प्राप्त टिप्पणीसभक आधारपर ई पुस्तिकासभक नव संस्करणक संगहि अतिरिक्त संस्करणसभ तैयार कएल जा सकैत अछि ।

ई शृंखलाकेँ नेपालक किछु प्रमुख भाषामे अनुबाद करए क्रममे उँच गुणस्तरक संगहि एहिकेँ सम्बन्धित भाषाक बेसीसँबेसी लोक बुझि सकए ताहिलेल ठीक शब्दावलीक प्रयोगक हरसम्भब प्रयास कएल गेल अछि । शब्दावलीक उपयुक्त आ ठीक प्रयोगक सम्बन्धमे बिभिन्न भाषिक समुदायकसभक बीच भविष्यमे विचारविमर्श आ बहस होएबाक अपेक्षा कएल जा सकैत अछि । संवैधानिक संवाद केन्द्रक उद्देश्य ओहन बहससभकेँ कोनो प्रकारेँ ओझलमे (छाहरिमे) नहि राखि ओहि भाषासभकेँ सेहो समावेश क’ एहि प्रयासमे समाबेशिता आ पहुँचकेँ अधिकतम अभिवृद्धि करब अछि ।

देशमे संविधान निर्माणसँ सम्बन्धित जुडल बिषयबस्तु सम्बन्धमे संवैधानिक संवाद केन्द्रद्वारा तैयार भ'रहल शंखृलाबद्ध पाठ्यसामाग्रीसभक एकटा अंश (भाग) ई पुस्तिका अछि ।

सभासदसभक संगाहि ई विषयबस्तुमे अभिरुचि रखनिहार सर्वसाधारणसमकैं प्रमुख संवैधानिक अवधारणा आ मुद्दासभमे (समस्यासभमे) संलग्न कराएब एहि शृंखलाबद्ध प्रकाशनक उद्देश्य अछि। शृंखला अन्तर्गत प्रत्येक पुस्तिका नेपालमे प्रयुक्त (बाजएबला) प्रमुख भाषासभ (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारु, मगर, तामांग, नेवार आ अंग्रेजी) मे उपलब्ध अछि । ई पाठ्यसामाग्रीसभक श्रव्य (सुनएबला) संस्करणक (कैसेट, सिडी) उपलब्धिक संगाहि एहिसभकैं अनलाइनमे सेहो राखल गेल अछि ।

पहिल चरणमे ई प्रकाशन शृंखलामे समेटल गेल विषयबस्तुसभ एहि प्रकारैं अछिः राज्य आ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधानमे मानव अधिकार, आदिवासी जनजातिक अधिकार, अल्पसंख्यकक अधिकार, सरकारक प्रणालीसभ, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण आर सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रकृया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेसर महल, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नव बानेश्वर, काठमाण्डू
टेलिफोन नं.: ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : info@ccd.org.np
वेबसाइट : www.ccd.org.np